3445/86 3446/86

Papers to be laid on the Table of Lok Sabha.

LT-3445/86

Authenticated

(Ramdulari Sinha)
Minister of State for Mines
Ministry of Steel and Mines

New Delhi, the November, 1986.

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) UNDER G.S.R. 888 DATED 18-10-1986

Government of India
(Bharat Sarkar)
Ministry of Steel and Mines
(Ispat Aur Khan Mantralaya)
Department of Mines
(Khan Vibhag)

....

New Delhi, the 22nd September, 1986.

NOTIFICATION

G.S.R. 888. In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals(Regulation and Development) Act, 1957(67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely :-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960 , -

(1) in rule 14, in sub-rule (1), in clause (i), for the words "twenty-five paise and not more than two rupees fifty paise", the words "fifty paise and not more than five rupees" shall be substituted ;

(2) in rule 20, in sub-rule (1), for the words "two hundred rupees", the words "five hundred rupees" shall be substituted ;

(3) in rule 22, in sub-rule (3), -

(a) in clause (i), in sub-clause (a), for the words "two hundred rupees", the words "five hundred rupees" shall be substituted ;

...2/-

(b) in clause (ii), for the words, "five hundred rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted;

(4) in rule 27, in sub-rule (1), after clause (o), the following shall be added, namely:-

"(p) the lessee shall, in the matter of employment, give preference to the tribals and to the persons who become displaced because of the taking up of mining operations.";

(5) in rule 32, for the words "one thousand rupees", the words "two thousand rupees" shall be substituted;

(6) in rule 44, in clause (i), for the words "twenty-five naye paise and not more than two rupees fifty naye paise", the words "fifty paise and not more than five rupees" shall be substituted;

(7) in rule 54, in sub-rule (1), for the letters and figures "Rs.100", the letters and figures, "Rs.500" shall be substituted;

(8) in Schedule I, -

(a) in Form B, in paragraph 2, for the letters and figures, "Rs.20/-" and Rs.4/-", the letters and figures "Rs.50/-" and "Rs.10/-" shall be substituted;

(b) in Form E, in paragraph 1, for the letters and figures "Rs.20/-" and "Rs.4/-", the letters and figures, "Rs.50/-" and "Rs.10/-" shall be substituted;

(c) in Form I, in paragraph 2, for the letters, figures and word "Rs.200 and Rs.500" the letters, figures and word "Rs.500/- and Rs.1,000/-" shall be substituted;

(d) in Form J, in paragraph 1, for the letters and figures, "Rs.200/-", the letters and figures "Rs.500/-" shall be substituted;

(e) in Form K, in PART VII, in clause 19, for the letters and figures "Rs.1000/500", the letters and figures "Rs.2000/1000" shall be substituted;

(f) in Form N, in paragraph 7, for the letters and figures, "Rs.100", the letters and figures "Rs.500" shall be substituted;

(9) for Schedule II, the following shall be substituted namely :-

"SCHEDULE II

[See rule 9(2)(a)]

Application fee for Prospecting Licences

(1) For first square kilometre or part thereof	Rs.50/-
(2) For each additional square kilometre	Rs.10/-

NOTE: The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated 11-11-1960 vide Government of India Notification, Ministry of Steel, Mines & Fuel (Department of Mines & Fuel)No.GSR 1398.

Sd/—
(B. DASGUPTA)
DIRECTOR.

F.No.7(4)/85-M.VI

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Ring Road, Near Rajouri Garden,
NEW DELHI.

लोक सभा के पटल पर रखे जाने वाले कागज

अधिप्रमाणित
[signature]
(रामदुलारी सिन्हा)
राज्य मंत्री (खान)
इस्पात और खान मंत्रालय

LT-3449/86

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1986.

भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित

सा0 का0 नि0 888 दिनांक 18.10.1986

भारत सरकार
इस्पात और खान मंत्रालय
खान विभाग
....

नई दिल्ली, तारीख 22 सितम्बर 1986

अधिसूचना

सा0 का0 नि0 888 केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज विनियमन और विकास (अधिनियम, 1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1- (1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1986 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2- खनिज रियायत नियम, 1960 में,---
(1) नियम 14 के उपनियम (1) के खंड (i) में पच्चीस पैसे से कम तथा दो रूपये पचास पैसे" शब्दों के स्थान पर "पचास पैसे से कम तथा पांच रूपए" शब्द रखे जाएंगे,
(2) नियम 20 के उपनियम (1) में दो सौ रूपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रूपये" शब्द रखे जाएंगे,
(3) नियम 22 के उपनियम (3) में, -
(क) खण्ड (i) के उपखंड (क) में-"दोसौ रूपए" शब्दो के स्थान पर "पांच सौ रूपए" शब्द रखे जाएंगे,
(ख) खंड (ii) में "पांच सौ रूपए" शब्दों के स्थान पर एक हजार रूपए" शब्द रखे जाएंगे।
(4) नियम 27 के उपनियम (1) में खंड (ण) के पश्चात निम्नलिखित जोडा जाएगा, अर्थात:-
"(त) पट्टेदार रोजगार के मामले में जन जातियों को ओर ऐसे व्यक्तियों को जो खनन संचालनों को करने के कारण विस्थापित हो गए हों, अधिमानता देगा।" ;

§5§ नियम 32 में "एक हजार रुपए"शब्दो के स्थान पर "दो हजार रुपए"शब्द रखे जाएगें;

§6§ नियम 44 के खंड§1§ मे "पच्चीस नए पैसे से कम और दो रुपए पचास पैसे से"शब्दो के स्थान पर "पचास पैसे से कम और पांच रुपए से "शब्द रखे जाएगें;

§7§ नियम 54 के उपनियम §1§ में"100रु0"अंक और शब्द के स्थान पर "500 रु0"अंक और शब्द रखे जाएगें;

§8§ अनुसूची। में,--

§क§ प्रस्प ख के पैरा 2 में,"20 रु0"और"4 रु0"अंको और अक्षरो के स्थान पर "50रु0" और "10 रु0"अंक और अक्षर रखे जाएगें;

§ख§ प्रस्प ड0 के पैरा §1§ में "20रुपए"और "4रु0अंको और अक्षरो के स्थान पर "50रु0"और"10रु0"अंक और अक्षर रखे जाएगें;

§ग§ प्रस्प झ के पैरा 2 में"200रु0"और 500रु"अंको और अक्षरो के स्थान पर "500रु0और 1000रु0"अंक और अक्षर रखे जाएगें,

§घ§ प्रस्प ञ के पैरा 1 में "200 रु0"अंको और अक्षरो के स्थान पर "500रु0"अंक और अक्षर रखे जाएगें;

§ड0§ प्रस्प ट के भाग 7 के खंड 19 में "100/500 रुपए" अंको और अक्षरो के स्थान पर "2000/1000रुपए"अंक और अक्षर रखे जाएगें;

§च§ प्रस्प ढ के पैरा 7 में "100 रु0"अंक और अक्षरा के स्थान पर "500रु0"अंक और अक्षर रखे जाएगें;

§9§ अनुसूची 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"अनुसूची-2

नियम 9§2§§क§देखिए §

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन फीस

(1) पहले वर्ग किलोमीटर या उसके भाग के लिए-------50रू0

(2) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग किलोमीटर के लिए-----10रू0

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, खंड3(1) तारीख 11·11·1960 मे भारत सरकार के इस्पात खान और इंधन मंत्रालय (खान और इंधन विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0 का0, नि0 1398 के रूप में प्रकाशित हुए थे।

ह0/

(बी0दास0गुप्ता)

निदेशक

फा0 सं0 7(4)/85-एम 6